**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1193

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता**

1193. श्री सी॰ एम॰ रमेशः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राप्त हुई शिकायतों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठाए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार इस संबंध में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से मदद ले रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क): भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल स्तर की रसोई में गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, इन दिशानिर्देशों में स्कूलों को मध्याह्न-भोजन तैयार करने के लिए एग्मार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड सामग्री खरीदने के लिए अनुदेश प्रदान करना, बच्चों को भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के 2-3 वयस्क सदस्यों द्वारा भोजन को चखना और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों के परीक्षण की व्यवस्था करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एमडीएम नियम, 2015 भोजन में पोषण संबंधी मानकों और गुणवत्ता को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों के अनिवार्य परीक्षण का प्रावधान करता है। सरकार ने योजना के तहत बच्चों को गुणवत्तापरक भोजन परोसे जाने को सुनिश्चित करने के लिए  केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर एक व्यापक निगरानी तंत्र को भी अपनाया है।

(ख): मध्‍याह्न भोजन योजना को राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जाता है। पात्र बच्‍चों को पका हुआ और पौष्टिक मध्‍याह्न भोजन उपलब्‍ध कराने की समग्र जिम्‍मेदारी राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍यक्षेत्र प्रशासनों की है। राज्‍य और संघ राज्‍यक्षेत्र सरकारें पहचान किए गए स्‍कूलों के समूहों के लिए केन्‍द्रीकृत रसोइयों में भोजन तैयार करने हेतु गैर सरकारी संगठनों/स्‍वैच्छिक संगठनों को कार्य सौंपती है। राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों द्वारा उपलब्‍ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान 17 राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों के 42849 स्‍कूलों के 6377956 बच्‍चों को कवर करने के लिए 367 एनजीओ/स्‍वैच्छिक संगठनों को कार्य सौंपा गया है।

**\*\*\*\*\***